



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244614
CG-DL-E-23032023-244614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331]
No. 1331]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1384(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी, हरियाणा राज्य को, लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी कोई जाँच, जिसे वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात्, अपने आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (3) के अनुसार, धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ़ोट कोरीडोर, के लिए हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में, परिसम्पत्ति सहित अथवा परिसम्पत्ति रहित, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – रेवाड़ी

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल			भूमि की प्रकृति
					कनाल	मरला	हैक्टेयर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रेवाड़ी	मनेठी	पाड़ला	89 / / 19	1	15	0.0885	कृषि
2				89 / / 18	3	10	0.1771	कृषि
3				89 / / 12	0	0	0.0011	कृषि
4				89 / / 13	5	0	0.2530	कृषि
5				89 / / 8	4	8	0.2226	कृषि
6				89 / / 7 / 1	0	8	0.0202	कृषि
7				89 / / 7 / 2	0	6	0.0152	कृषि
8				89 / / 3 / 2	1	1	0.0531	कृषि
9				89 / / 3 / 1	0	18	0.0455	कृषि
10				89 / / 4	3	2	0.1569	कृषि
11				80 / / 23	0	2	0.0051	कृषि
12				80 / / 24	4	14	0.2378	कृषि
13				80 / / 17	4	15	0.2403	कृषि
14				80 / / 16	0	7	0.0177	कृषि
15				80 / / 14 / 1	1	7	0.0683	कृषि
16				80 / / 14 / 2	0	16	0.0405	कृषि
17				80 / / 15	2	12	0.1316	कृषि
18				80 / / 6 / 1	2	18	0.1467	कृषि
19				80 / / 6 / 2	1	10	0.0759	कृषि
20				80 / / 7	0	3	0.0076	कृषि
21				79 / / 1	0	2	0.0051	कृषि
22				80 / / 5	4	17	0.2454	कृषि
23				70 / / 25	3	12	0.1822	कृषि
24				71 / / 21	2	18	0.1467	कृषि
25				70 / / 16	0	8	0.0202	कृषि
26				71 / / 20 / 1	2	8	0.1214	कृषि
27				71 / / 20 / 2	2	1	0.1037	कृषि
28				71 / / 11 / 1	4	10	0.2277	कृषि
29				71 / / 11 / 2	0	12	0.0304	कृषि
30				71 / / 12 / 1	0	1	0.0025	कृषि
31				71 / / 9	2	12	0.1316	कृषि
32				71 / / 10 / 1	2	10	0.1265	कृषि
33				71 / / 10 / 2	0	10	0.0253	कृषि
34				71 / / 1 / 2	0	3	0.0076	कृषि

35				71 / / 2 / / 1	1	5	0.0632	कृषि
36				71 / / 2 / 2	4	11	0.2302	कृषि
37				71 / / 3	0	8	0.0202	कृषि
38				55 / / 22 / 2	1	7	0.0683	कृषि
39				55 / / 23 / 2	4	0	0.2024	कृषि
40				55 / / 23 / 1	1	10	0.0759	कृषि
41				55 / / 18 / 2	0	18	0.0455	कृषि
42				55 / / 24	0	9	0.0228	कृषि
43				55 / / 17 / 2	1	1	0.0531	कृषि
44				55 / / 16 / 2	1	13	0.0835	कृषि
45				54 / / 20 / 2	0	18	0.0455	कृषि
46				54 / / 11 / 2 / 2	0	3	0.0076	कृषि
47				421 / 2	0	16	0.0405	रास्ता
48				422	1	1	0.0531	रास्ता

[फा. सं. 2023 / एलएमएल-II / 12 / 1 / डब्ल्यू सी / 2386]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st March, 2023

S.O. 1384(E)—In exercise of the powers confirmed by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Rewari in the State of Haryana hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, District Revenue Officer, Rewari, Haryana State, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

As per sub-section (3) of the section 20D any order by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Rewari for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Haryana.

Name of the District- Rewari

Serial Number	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Area to be proposed for land Acquisition			Nature of the land
					Kanal	Marla	Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rewari	Manethi	Padla	89//19	1	15	0.0885	Agriculture
2				89//18	3	10	0.1771	Agriculture
3				89//12	0	0	0.0011	Agriculture
4				89//13	5	0	0.2530	Agriculture
5				89//8	4	8	0.2226	Agriculture
6				89//7/1	0	8	0.0202	Agriculture
7				89//7/2	0	6	0.0152	Agriculture
8				89//3/2	1	1	0.0531	Agriculture
9				89//3/1	0	18	0.0455	Agriculture
10				89//4	3	2	0.1569	Agriculture
11				80//23	0	2	0.0051	Agriculture
12				80//24	4	14	0.2378	Agriculture
13				80//17	4	15	0.2403	Agriculture
14				80//16	0	7	0.0177	Agriculture
15				80//14/1	1	7	0.0683	Agriculture
16				80//14/2	0	16	0.0405	Agriculture
17				80//15	2	12	0.1316	Agriculture
18				80//6/1	2	18	0.1467	Agriculture
19				80//6/2	1	10	0.0759	Agriculture
20				80//7	0	3	0.0076	Agriculture
21				79//1	0	2	0.0051	Agriculture
22				80//5	4	17	0.2454	Agriculture
23				70//25	3	12	0.1822	Agriculture
24				71//21	2	18	0.1467	Agriculture
25				70//16	0	8	0.0202	Agriculture
26				71//20/1	2	8	0.1214	Agriculture
27				71//20/2	2	1	0.1037	Agriculture
28				71//11/1	4	10	0.2277	Agriculture
29				71//11/2	0	12	0.0304	Agriculture
30				71//12/1	0	1	0.0025	Agriculture
31				71//9	2	12	0.1316	Agriculture
32				71//10/1	2	10	0.1265	Agriculture
33				71//10/2	0	10	0.0253	Agriculture
34				71//1/2	0	3	0.0076	Agriculture
35				71//2//1	1	5	0.0632	Agriculture
36				71//2/2	4	11	0.2302	Agriculture
37				71//3	0	8	0.0202	Agriculture
38				55//22/2	1	7	0.0683	Agriculture
39				55//23/2	4	0	0.2024	Agriculture
40				55//23/1	1	10	0.0759	Agriculture
41				55//18/2	0	18	0.0455	Agriculture
42				55//24	0	9	0.0228	Agriculture
43				55//17/2	1	1	0.0531	Agriculture
44				55//16/2	1	13	0.0835	Agriculture
45				54//20/2	0	18	0.0455	Agriculture
46				54//11/2/2	0	3	0.0076	Agriculture
47				421/2	0	16	0.0405	Road
48				422	1	1	0.0531	Road

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2386]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)